GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS RAILWAY BOARD

No. E(D&A) 2020 RG6-6

The General Manager,
All Zonal Railways and Production Units etc.
(As per standard list)

Depty 30 15/24

1003 1957

Sub: Conducting disciplinary inquiry through video conferencingamendment to Rule 9(2) of Railway Servants (Discipline And Appeal) Rules. 1968 and notification of regulations related thereto.

Rule 9(2) of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 has been amended vide Gazette Notification bearing GSR No. 286(E) dated 22.05.2024 and regulations in pursuance thereto have also been notified vide GSR No. 287(E) dated 22.05.2024. A copy each of the Gazette Notifications is enclosed herewith for necessary action.

Please acknowledge receipt.

(Aniruddha Thakur) Dy. Director/Estt.(D&A) Railway Board

Copy forwarded for information:

- 1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (with 35 spares).
- 2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi (with 35 spares).
- 3. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C Ferozshah Road, New Delhi (with 60 spares).
- 4. The Secretary General, FROA, Rail Bhavan, New Delhi (with 6 spares).
- 5. The Secretary General, IRPOF, Rail Bhavan, New Delhi (with 6 spares).
- 6. The Secretary RBSS 'Group A Officers' Association', Rail Bhavan, New Delhi.
- 7. The Secretary, RBSS 'Group B Officers' Association.
- 8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- 9. The Secretary, Railway Board Group D Employees Association.
- 10. The Secretary, RBSSS Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
- 11. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi. 12. M/s Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O. Box No. 2032
- 13. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.

14. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association. Room No.8, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi-110001.

15. Office of Chief Administrative Officer, Indian Railways (Workshop Projects), Chamber

Bhavan, Judge's Court Road, Anta Ghat, Patna-800001, Bihar.

1:11-201- 37

For Principal Executive Director (IR), Railway Board

No. E(D&A) 2020 RG6-6

New Delhi, dated: 29.05.2024

Copy forwarded for Information to:

1. The DAI (Railways), New Delhi (with 40 copies).

2 The Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, New Delhi.

(Aniruddha Thakur)
Dy. Director/Estt.(D&A)
Railway Board

Copy to:

PS/MR, PS/MoSR PSO/PPSs to CRB & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), DG(HR), DG(RHS), DG(RPF), DG(Safety), Secretary, PED(Vig.), PED(IR), EO, JS, JS(G), JS/E, ED/E, EDE(Res), Dir(D&A), Dir E(O)-I, Dir.(RPF), US(DAR), US/ERB-V, V-I, ERB-I, ERB-VI, ERB-V, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)-I, E(SCT)-II, E(O)-I and E(O)I CC branches in Board's Office.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254365 CG-DL-E-27052024-254365

METERS EXTRAORDINARY

जान II—**बन्द 3—उप-बन्द** (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राविकार के प्रकारित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, बुबबार, नई 22, 2024/व्येष्ठ 1, 1946

No. 265

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2024/JYAISHTHA 1, 1946

रेल भंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

वधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2024

(बाट.बी./स्वा.सं. 45/2024)

सा.का.नि. 286(व).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुचछेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेस सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संश्वित नाम और प्रारंध- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2024 है।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में, नियम 9 के उपनियम (2) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"परंतु यह और कि आपवादिक परिस्थितियों जैसे महामारी या प्राकृतिक आपदा या जब अनुशासनिक प्राधिकारी लेखबद्ध कारणों के आधार पर संतुष्ट हो, तो जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जींच कर रहे हो या जब जींच के लिए कोई जींच प्राधिकारी नामित किया गया हो, रेल सेवक के अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सत्यता के

बारे में जोच वीडियो कांफ्रेंसिंग के डिजिटल मोड की सहायता के माध्यम से या तो पूर्णतः या भागतः, रेल मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार की जा सकेगी।"

> [फा. सं. ई(डी एंड ए) 2020 आरजी6-6] सुनील कुमार, कार्यकारी निदेशक/स्थापना

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपन, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. सं. 3181, तारीख 14 सितंबर, 1968 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. सं. 178, तारीख 19 सितंबर, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Rallway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May 2024

(R.B./Estt. No. 45/2024)

G.S.R. 286 (E).—In exercise of the powers conferred by the *proviso* to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal)Rules, 1968, namely:-

- 1. Short Title and Commencement- (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, after the proviso of sub-rule (2) of rule 9, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in exceptional circumstances such as a pandemic or natural calamities or when the disciplinary authority is satisfied for the reasons to be recorded by it in writing, the disciplinary authority may itself inquire into or may authorise an Inquiring Authority to inquire into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Railway Servant through the aid of the digital mode of Video Conferencing, either wholly or in parts, in accordance with the regulations framed by the Central Government in the Ministry of Railways."

[F. No. E(D&A) 2020 RG6-6]

SUNIL KUMAR, Executive Director/Establishment

Note:- Principal rules were published in the Gazette of India in Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3181, dated the 14th September, 1968 and was last amended vide notification number G.S.R. 178 dated 19th September, 2015.



सो.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254353 CG-DL-E-27052024-254353

MAINTEN EXTRAORDINARY

भाग II—वण्ड 3—उप-वण्ड (I) PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITM

सं. 266]

नई दिस्ती, बुधवार, मई 22, 2024/ज्वेष्ठ 1, 1946

No. 2661

NEW D ELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2024/J / AISHTHA 1, 1946

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 17 मई, 2024

सा.का.नि 287(क).- -केन्द्रीय सरकार, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के उपनियम (2) के दूसरे परंतुक के अनुसर ण में निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातु:-

- 2. संक्रिप्त नाम और प्रारं म- (1) इन विनियमों का नाम रेल सेवक (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुशासनिक जांच का संचालन) विनियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 3. बनुप्रयोग- ये विनियम उन विभागीय जांच पर लागू होंगे जिनका संचालन वीडियो कांफ्रेंसिंग के डिजिटल मोड के उपयोग द्वारा रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 में निर्धारिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है।
- 4. परिभाषा एं- इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "समन्वयक" से तात्पर्य विनियम 6 के अधीन समन्वयक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से हैं;

- (ख) "निर्दिष्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग साफ्टवेयर" से तात्पर्य वीडियो कांप्रेःसिंग का संचालन करने के लिए समय-समय पर जांच प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत साफ्टवेयर से है;
- (ग) "आधिकारिक ई-मेल" से तात्पर्य जांच कार्यवाहियों के पारंभ पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया ई-मेल खाता है जिनमें सिमालित जांच प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के लिए उसका प्रतिस्थापन भी सिमालित है:
- (घ) कार्यवाहियों के अंतर्गत भौतिक जांच कार्यवाही और वर्जुबला जांच कार्यवाही सम्मिलित है;
- (ड.) "कार्यवाही स्थान" से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां जांच !। धिकारी की अध्यक्षता में जांच कार्यवाहियां भौतिक रूप में किसी रेलवे प्रशासन के परिसरों में, जिसके अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं, संचालित होगी;
- (च) "दूरस्य स्थान " से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां जांच कार्यवाित्यों के भागीदारों को वीडियो लिंक के माध्यम से किसी रेल अप्रशासन के परिसरों में,जिसके अंतर्गत रेल मंत्रा लय द्वारा प्रशासित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी हैं, उपस्थित होना हैं;
- (छ) "दूरस्य रं,पयोक्ता" से तात्पर्य किसी दूरस्थ स्थान पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियों में भाग लेने वाने व्यक्ति से है; और
- (ज) अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस विनियम में प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं हैं उनके क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2'300 (2000 का 21) में परिभाषित हैं।
- 5. वीडियो कांग्रेक्सिंग से संबंधित सामान्य सिद्धांत- (1) वीडियो कांग्रेंसिंग सुविधाएं जांच कार्यवाहियों के किसी या सभी स्तरों पर, जो जांच प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, प्रयोग की जा सकेंगी।
 - (2) जांच कार्यवाहियों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखने की शर्त के अधीन रहते हुए, जांच प्राधिकारी, ऐसे प्रौद्योगिकी उन्नयन जो समय-समय पर उपलब्ध हों, को अंगीकृत कर सकेगा।
 - (3) जांच प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा कार्यवाहियों की कोई रिकार्डिंग नहीं की जाएगी;
 - (4) दूरस्य उपयोक्ताओं की पहचान, भारत सरकार या राज्य सरकार या प्रंघ राज्यक्षेत्र द्वारा पहचान के सबूत के रूप में मान्यता के आधार पर स्थापित की जाएगी और पहचान का सबूत, सहजतापूर्वक उपलब्ध न होने की दशा में, संबद्ध व्यक्ति नाम, माता-पिता का नाम और स्थायी पता, अस्थायी पता भी यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा।
 - (5) जांच कार्यवाहियां, जांच प्राधिकारी द्वारा यथा चयनित निर्दिष्ट वीडियों कांफ्रेंसिंग साफ्टवेयर द्वारा संचालित की जाएंगी:
 - परंतु किसी कार्यवाही के दौरान तकनीकी समस्या की दशा में, जांच प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, निर्दिष्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग साफ्टवेशर से भिन्न, सोफ्टवेयर का प्रयोग उस विशिष्ट कार्यवाही में वीडियो कांफ्रेंसिंग करने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।
 - (6) जांच कार्यवाहियों के संचालन हेतु प्रयोग किए जाने वाल आधिकारिक ई-मेल कार्यवाहियों के प्रारंभ में जांच प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और इसका प्रतिस्थापन, यदि कोई हो, उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए केवल जांच प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
 - (7) वीडियो कांफ्रेंसिंग सामान्य रूप से आधिकारिक कामकाजी घंटों के दौरान की जाएगी:

परंतु जांच प्राधिकारी, बीक्षियों कांग्रें सिंग के समय और शेष्ठपूल के संबंध में परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त निदेश दे सकेगा।

- (8) एक बार जब कार्यवाहियां बारंभ हो गई हों, जांच प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वर्चुअल सुनवाई में किसी अन्य व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- (9) कार्यवाही स्थान और दूरःश्य स्थान के मध्य लिंक, जांच प्राधिकारी के आदेशों के अधीन या उसके द्वारा स्थापित या समाप्त किया आएगा।
- (10) जांच प्राधिकारी स्वयं की संतुष्टि करेगा कि दूरस्य स्थान पा कार्यवःही स्थान पर अपेक्षित व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और सुने जा रहे हैं और जांच प्राधिकारी को देख और सुन रहे हैं।
- (11) कार्यबाही स्थान एवं दुःस्य स्थान की उपयोक्ता, दोनो थे लिए स्पष्टता, आवाज और कनेक्टिविटि के संदर्भ में जॉच अधिकारी स्थंय की संतुष्टि करेगा और संतुष्टि अभि लेखित भी करेगा।
- (12) बीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित संपूर्ण जांच कार्यवाहियों की श्रव्य-दृश्य रिकार्डिंग संरक्षित की जाएगी और एंक्रिप्टेड (कूटित) मास्टर कॉपी हैश वेल्ला सहित रिकार्ड के भाग के रूप में अभिरक्षित की जाएगी।
- (13) जहां कहीं बीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोई कार्यवाही की जाती है, वहां जांच प्राधिकारी द्वारा इसे ऑर्डर शीट पर विशेष रूप से उल्लिखित किया जाएगा।
- (14) जांच प्राधिकः री, जांच की प्रभावी रिकार्डिंग हेतु ऐसी अन्य शर्ते भी अधिरोपित कर सकेगा जो दिये गए तच्यों के कि.सी सेट और विशेष रूप से विनियम 6 के उप विनियम (3) के संबंध में आवश्यक हों।
- (15) उपविनिर/म (14) में निर्दिष्ट जाँच, जहां तक व्यवहार्य हो, निर्वाध हं।गी : परंतु न्थाय के हित में, जांच प्राधिकारी यह अवधारित करने हेतु स्वतंत्र होगा कि क्या स्थगन दिया जाना चाहि ए और यदि हां, तो किन शर्तों पर दिया जाएगा ।
- (16) जां च प्राधिकारी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति की जाँच करते समय रेल सेवक (अनुशासन াীर अपील) नियम, 1968 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानो द्वारा निर्देशित होगा।
- 6. समन्वयर्क (1) दूरस्थ स्थान पर एक समन्वयक होगा जो जांच प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित किया जाएगा।
 - (2) रेल प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसा भी मामला हो, जिसके आधिकारिक क्षेत्र में दूरस्य स्थान आता है, जाँच अधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में ऐसे रेल सेवक को जो वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के इलेक्ट्रॉनिक मोड को हैंडल करने में पारंगत हो, समन्वयक के रूप में कार्य करने हेत् तुरंत उपलब्ध करा कर जाँच अधिकारी को अपेक्षित सहयोग करेगा।
 - (3) समन्वयक सुनिश्चित करेगा कि ,-
 - (i) दूरस्य स्थान पर किसी विशिष्ट कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए अधिसूचित सभी दूरस्य उपयोक्ता, वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए अभिहित दूरस्य स्थान पर निर्धारित समय से कम से कम तीस मिनट पूर्व तैयार हों;
 - (ii) जांच प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई रिकार्डिंग नहीं की जाए और किसी रिकार्डिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाए;
 - (iii) जब विडियो कांफ्रेंसिंग चल रही हो, तब वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में कोई अना्धिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे और जांच प्राधिकारी की पूर्व अनुजा के बिना दूरस्थ स्थान पर कोई व्यक्ति उपस्थित न हो;

- [PART II—SEC. 3(1)] िश्रम दूरस्य उपयोक्ता व्यक्ति की परीक्षा की जा रही है, उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी वरीके से प्रेरित, (iv) उत्प्रेरित, सिखाया, मजबूर, धमकाया या बादा नहीं किया गया है और वह व्यक्ति जिसकी परीक्षा की जा रही है, परीक्षा के दौरान जांच प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी दस्तावेज, स्क्रिप्ट या' डिवाइस को उल्लेखित नहीं करेगा।
- 7. सम्मर्गी की तामील-(1) रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में निहित प्रावधान बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित कार्यवाहियों के लिए सम्मन की तामील पर लागू होंगे। (2)
 - बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यन से परीक्षण किए जाने वाले साक्षी को जारी किए गए सम्मन में संबंधित दूरस्य बिंदु की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होगा और साक्षी को पहचान पत्र या इस आशय रे घोषणापत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया जाएगा।
- 8. प्रारंभिक व्यवस्था और सामान्य अपेकाएं-(1) जांच प्राधिकारी दूरस्थ उपयोगकर्ता व्यक्तियों को वीडियो कॉ क्रेंसिंग का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए अग्रिम में पर्याप्त नोटिस देगा। (2)
 - निर्धारित बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही आरंभ होने से पहले, जांच प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्य बिंदु पर स मन्वयक को प्रिटबाउट या फोटोकॉपी की प्रमाणित प्रतियां या कार्यवाही के अधिलेख के सभी या किसी भी हिस्से की गैर-संपादन योग्य स्किन की गई प्रतियों की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो, जो बन्यान या साक्य अभिलिखित करने के लिए या संदर्भ के लिए अपेकित हों : परंतु इन दस्ता या प्रतियों को दूरस्थ उपयोगकर्ता व्यक्तियों द्वारा केवल जांच प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ उपयोग करने की अनुमित दी जाएगी।
 - जांच प्राधिकारी समन्वयक के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्य बिंदु पर बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में कोई भी अनाशिकृत व्यक्ति उपस्थित न हो और आंच प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दूरस्थ। बिंदु पर किसी भी व्यक्ति की परीक्षा के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मौजूद न हो ।
 - जांच प्राधिकारी निर्धारित बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिमानतः तीस मिनट पहले एक परीक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी: आयोजित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी तकनीकी प्रणालियां कार्यवाही बिंदु और दूर स्थ बिंदु दोनों पर काम करने की स्थिति में हैं। (5)
 - निर्घारित समय पर, जांच प्राधिकारी दूरस्य उपयोगकर्ता को कार्यवाही बिंदु से जोड़ देगा।
 - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साघारणत: आधिकारिक कार्य घंटों के दौरान होगी : परंतु जांच प्राधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय और कार्यक्रम के बारे में उपयुक्त निदेश पारित कर सकेगा,
 - जां व प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवल एक अभिहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स.फ्टबेयर के माध्यम से आयोजित की जाए।

स्या शकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट जिया जाता है कि कार्यवाही के दौरान किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में, जांच प्राधिकारी, उसके द्वारा अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उस विशेष कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अभिहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य सॉफ़्टवेयर के उपयोग की अनुमति दे

- जांच प्राधिकारी परीक्षा किए जा रहे व्यक्ति के अभिसाक्ष्य के दौरान किए गए आपत्तियों को, यदि कोई हो, नोट करेगा और उस पर लिखित रूप में समुचित आदेश पारित करेगा।
- (9) परीक्षा किए जा रहे व्यक्ति की परीक्षा की एक श्रृव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग परिरक्षित की जाएगी और हैश मूल्य के साथ एक एन्क्रिप्टेड मास्टर कॉपी को अभिलेख के एक भाग के रूप में रखा जाएंगा।
- (10) कार्यवाही बिंदु और दूरस्थ विंदु के बीच लिंक का वियोग जांच प्राधिकारी द्वारा या उसके आदेश पर किया

(11) प्रत्येक दिन बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही के पूरा होने पर, जांच प्राधिकारी, िनियम 5 के उपविनियम (3) से (7), उपविनियम (9) से (10) और उपविनियम (13) में व्यवहार किए गए पहलूओं के अतिरिक्त, कार्यवाही के समय और अवधि, उपयोग किए गए सॉफ़्टबेयर (यदि उपयोग किया गया सॉफ़्टबेयर अभिहित बीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टबेयर नहीं है), कार्यवाही के दौरान उठाए गए मुद्दे, यदि कोई हो, और दस्ताबेज, यदि कोई हो, जो ऑनलाइन प्रस्तुत और प्रशारित किए गए थे, की दैनिक ऑर्डर शीट बनाए गा, जैसा वह ठीक समझे :

परंतु यदि डिजिटल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाती है, तो जांच प्राधिकारी अन्य सभी अपेक्षित विवरणों के साथ ऑर्डर शीट में इसकी अवधि दर्ज करेगा।

- (12) जांच प्राधिकारी, कार्यवाही बिंदु और दूरम्य जिंदु पर उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यक्षाही से संबंधित स्पष्टता, ध्वनि और कनेक्टिविटी के संबंध में अपनी संतुष्टि भी अभिलिखित करेगा।
- 9. व्यक्तियों की परीका-(1) किसी साक्षी की तब तक परीक्षा नहीं की जाएगी, जब तक उसकी पहचान विनियम 5 के उपविनियमन (4) में किए गए उपबंध के अनुसार स्थापित नहीं की गई है और यह दैनिक ऑर्डर शीट में परिलक्षित होगी और दूरस्य बिंदु पर साक्ष्य देने वाले साक्षी की पहचान की पृष्टि समन्वयक की सहायता से जांच प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जो पहचान पत्र की हाई कॉपी पर साक्षियों के हस्ता क्षर प्राप्त करेगा, जैसा विनियम 5 के उप-विनियमन (4) में उपबंध किया गया है और प्रतिहस्ताक्षर करने के बाद उन्हें मान्यताप्राप्त कृरियर या रजिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से जांच प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।
 - (2) ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रिं समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी और उसके द्वारा तुरंत आधिकारिक ई-मेल के भाध्यम से जांच प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
 - (3) जिस व्यक्ति की परीक्षा की जा रांते है, उसकी परीक्षा सामान्यतया सरकारी कार्य घंटों के दीरान या ऐसे समय पर की जाएगी, जिसे जांच प्राधिकारी ठीक और आवश्यक समझे ।
 - (4) दूरस्य बिंदु पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि जांच प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमित के बिना, जांच किए जा रहे व्यक्ति के सिवाय कोई भी व्यक्ति, दूरस्य बिंदु पर उपस्थित नहीं है।
 - (5) जांच प्राधिकारी परीक्षा है: दौरान ऐसी टिप्पणी, यदि कोई हो, को अभिलिखित करेगा, कैसा वह व्यक्ति की भाव-भंगिमा के संबंध में वस्तुगत समझे।
 - (6) जांच प्राधिकारी ऐसे अन्य निदेश भी जारी कर सकेगा, जो तथ्य विशेष के संबंध में रारीक्षा की प्रभावी रिकॉर्डिंग के लिए आवश्यक हैं।
 - (7) जांच प्राधिकारी 'गरीक्षा समाप्त होने के बाद प्रतिलेख पर परीक्षा किए जा रहे व्यक्ति के हन्ताक्षर प्राप्त करेगा और हस्ताक्षरित प्रतिलेख जांच कार्यवाही के अभिलेख का हिस्सा होगा।
 - (8) परीक्षा किए जा रहे व्यक्ति के प्रतिलेख पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से आप्त किए जाएंगे, अर्थात् :--
 - (क) यदि संबंधित कार्यवाही बिंदु और दूरस्थ बिंदु दोनों पर डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध हैं, तो जांच प्राधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्ष'रित प्रतिलेख की सॉफ्ट कॉपी आधिकारिक ई-मेल द्वारा दूरस्य बिंदु पर भेजी जाएगी, जहां इसका प्रिंटआउट लिया जाएगा और परीक्षा किए जा रहे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा;
 - (स) ऐसे हस्ताक्षरित प्रतिलेख की स्कैन की गई एक प्रति दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी और इंगे आधिकारिक ई-मेल द्वारा कार्यवाही बिंदु पर प्रेषित किया जाएगा और इस्ताक्षरित प्रतिलेख की हार्ड कं।पी परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात्, दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक द्वारा अधिमानतः

तीन स्पष्ट दिनों की अवधि के भीतर मान्यताप्राप्त कूरियर या रिजस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा जांच प्राधिकारी को भेज दी जाएगी;

- (ग) यदि डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रश्तिलेख का प्रिंटआउट जांच प्राधिकारी और पक्षकारों के प्रतिनिधि, यिः कोई हो, द्वारा कार्यवाही बिंदु पर हस्ताक्षरित किया जाएगा और दूरस्थ बिंदु के आधिकारिक ई-मेल खाते में गैर-संपादन योग्य स्कैन किए गए प्रारूप में भेजा जाएगा, जहां इसका गिंटआउट लिया जाएगा और दूरस्थ बिंदु पर परीक्षा किए गए व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा;
- (घ) इस प्रकार हस्ताक्षरित प्रतिलेख का एक गैर-संपादन योग्य स्कैन किया गया प्रारूप दूरस्य बिंदु के समन्वयक द्वारा जांच प्राधिकारी के आधिकारिक ई-मेल खाते में भेजा जाएगा, तदोपरांत उपका प्रिंट आउट लिया जाएगा और कार्यवाही के अभिलेख। का भाग बनाया जाएगा और हार्ड कॉपी भी दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक द्वारा मान्यताप्राप्त कूरियर या र जिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा जांच प्राधिकारी को अधिमानतः तीन स्पष्ट दिनों की अवधि के भीतर भेज दी जाएगी।
- (9) परीक्षा, जहां तक व्यवहार्य हो, बिना किसी रुकावट या अनावश्यक स्थगन किए आगे बढ़ेगी:

परंतु जांच प्राधिकारी को यह तय करने की स्वतंत्रता होगी कि स्यगन दिया जाना चाहिए या नहीं, और यदि हां, तो किन शर्तों पर ।

- 10. दूरस्य बिंदु पर साझी या आरोपित रेल सेवक को । इस्ताबेजों का प्रदर्शन करना या दिखाना—यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दूरस्य बिंदु पर किसी व्यक्ति की परीक्षा के दौरान, व्यक्ति को कोई दस्तावेज दिखाना आवश्यक है, तो जांच प्राधिकारी निम्नलिखित तरीके से दस्तावेज दिखाने की अनुमित दे सकेगा, अर्थात्:--
 - (क) यदि दस्तावेज कार्यवाही विंदु पर है, तो दस्तावेज़ की एक प्रति या छवि को दूरस्थ विंद् पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिसके अंतर्गत दस्तावेज़ विजुअलाइज़र 'भी शामिल है, प्रेषित कर; या
 - (ख) यदि दस्तावेज़ दूरस्य बिंदु पर है, तो इसे व्यक्ति को दिखा कर और उसी की एक प्रति या छवि कार्यवाही बिंदू पर इलेक्ट्रॉनिक रुप से जिसके अंतर्गत दस्तावेज़ विज्ञाअलाइज़र भी शामिल है, प्रेषित कर:

परंतु दूरस्थ बिंदु पर साक्षी और समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दस्तावेज की हार्ड कॉपी तत्पश्चात् प्राधिकृत कूरियर या रजिस्ट्रीकृत स्थीड पोस्ट के माध्यम से कार्यवाही बिंदु पर भेज दी जाएगी।

- 11 दैनिक ऑर्डर शीटों का अभिलेखन --प्रत्येक दिन कार्यवाही की समाप्ति पर, जांच प्राधिकारी विनियम 8 के उपविनियमन (11) के अनुसार ऑर्डर शीट तैयार करेगा और जबकि जांच प्राधिकारी और कार्यवाही बिंदु पर उपस्थित आवश्यक व्यक्ति भौतिक रूप से अपने हस्ताक्षर करेंगे, दूरस्थ बिंदु पर आवश्यक व्यक्तियों के हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात :-
 - (क) यि संबंधित कार्यवाही बिंदु और दूरस्थ बिंदु दोनों पर डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध हैं, तो कार्यवाही बिंदु पर जांच प्राधिकारी और अन्य अ'वश्यक व्यक्तियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित भैनिक ऑर्डर शीट की सीम्ट कॉपी आधिकारिक ई-मेल द्वारा दूरस्थ बिंदु पर भेजी जाएगी, जहां इसका प्रिंट आउट लिया जाएगा और दूरस्थ बिंदु पर आवश्यक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;
 - (ख) ऐसे हस्ताक्षरित प्रिंटआउट की स्ंंंप्रेन की गई एक प्रति दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी और इसे आधिकारिक ई-मेल द्वारा कार्यवाही बिंदु पर प्रेषित किया जाएगा;
 - (ग) हस्ताक्षरित प्रतिलेख की हार्ड कॉर्पा अधिमानतः तीन स्पष्ट दिनों के भीतर दूरस्य बिंदु पर समन्वयक द्वारा जांच प्राधिकारी को मान्यताप्राप्त कूर्णस्यर या रजिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी जाएगी;

- (घ) यदि डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध न हीं हैं, तो दैनिक आदेश शीट का ग्रिंटआउट जांच प्राधिकारी और कार्यवाही बिंदु पर आवश्यक व्यक्तिगं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और दूरस्य बिंदु के आधिकारिक ई-मेल खाते में गैर-संपादन योग्य स्कैन किए गए प्रारूप में भेजा जाएगा, जहां इसका ग्रिंटआउट लिया जाएगा और दूरस्य बिंदु पर आवश्यक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा:
- (ङ) इस प्रकार हस्ताक्षरित प्रिंटआउट का एक गैर-संपादन योन्य स्कैन किया गया प्रारूप दूरस्य बिंदु के समन्वयक द्वारा जांच प्राधिकारी के आधिकारिक ई-मेल खाते में भेजा जाएगा, तदोपरांत उसका प्रिंट आउट लिया जाएगा और कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग बनाया जाएगा;
- (च) हार्ड कॉपी भी अधिमानतः तीन स्पाः दिनों श्री अवधि के भीतर दूरस्य बिंदु पर समन्वयक द्वारा जांच प्राधिकारी को मान्यताप्राप्त कूरियर या रजिस्ट्रीशृत स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी जाएगी।
- 12. अनुशासनिक प्राधिकारी को रिपोर्ट संप्रेणिश करते समय जांच प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना--जांच प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित कार्यवाही के दौरान अभिलेखबद्ध की गई हस्ताक्षरित हाई कॉपी के साथ डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित प्रतिलिपियों और दैनिक ऑर्डर शीट के प्रिंटआउट के साथ-साथ विनियमन 5 के उपविनियणन (12) में उपश्चित किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का सम्यक् रूप से मिलान किया गया है और अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच रिपोर्ट सूचित करते समय कार्यवाहियों के अभिलेखों का भाग बनाया गया है।
- 13. विनियमों का रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अतिरिक्त होना और न कि उनके लाघव में–इन विनियमों के उपबंध रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके लाघव में।

[फा. सं. ई(डी एंड ए) 2020 आरजी 6-6] सुनील कुमार कार्यकारी निदेशक/स्थापना

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2024

GSR 287(E).—In pursuance of second proviso of sub rule (2) of rule 9 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, the Central Government hereby makes the following regulations, namely:

- Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Railway Servants (Conduct of Disciplinary Inquiry through Video Conferencing) Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.
- Application. These regulations shall apply to the departmental inquiries to be conducted in accordance with the procedure laid down in rule 9 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, by utilising the digital mode of video conferencing.
- 4. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires-
 - (a) "Co-ordinator" means a person appointed as Co-ordinator under regulation 6;
 - (b) "designated video conferencing software" means the software permitted by the Inquiring Authority from time to time to conduct video conferencing;

- (c) "official e-mail" means any e-mail account provided by the Department at the commencement of the inquiry proceedings including the su'estitution thereof for the reasons to be recorded in writing by the Inquiring Authority;
- (d) "proceedings" includes a physical inquiry proceeding and a virtual inquiry proceeding;
- (e) "proceeding point" means the place where the inquiry proceedings is physically presided over by the Inquiring Authority in the premises of a railway administration including a Public Sector Undertaking administered by the Ministry of Railways;
- (f) "remote point" means the place where the participants to the inquiry proceedings are to appear through a video link, in the premises of a railway administration including a Public Sector Undertaking administered by the Ministr / of Railways;
- (g) "remote user" means the person participating in the proceedings through video conferencing at a remote point; and
- (h) all other words and expressions used herein but not defined in these regulations shall have the meanings respectively assigned to them in the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
- 5. General principles relating to Video Conferencing.- (1) The video conferencing facilities may be used at any or all the stages of the inquiry proceedings, as determined by the inquiring Authority.
 - (2) Subject to maintaining independence, impartiality and credibility of the inquiry proceedings, the Inquiring Authority may adopt such technological advancement as may become available to it from time to time.
 - (3) No recording of the proceedings by any person or entity shall be permitted except with the prior permission of the Inquiring Authority.
 - (4) The identity of the remote users shall be established on the basis of the identity proof as recognised by the Government of India or State Government or Union territory and in case of identity proof not being readily available, the person concerned shall furnish the name, parentage and permanent address, as also temporary address, if vny.
 - (5) The Inquiry proceedings shall be conducted by the designated video conferencing software as chosen by the Inquiring Authority
 - Provided that in the event of a technical problem during a given proceeding, the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded in writing by it, permit the use of software other than the designated video conferencing software, for video conferencing in that particular proceeding.
 - (6) The official e-mail to be used for the conduct of the inquiry proceedings shall be permitted by the Inquiring Authority at the commencement of the proceedings and its substitution, if any, shall be permitted only by the Inquiring Authority for the reasons to be recorded by it in writing.
 - (7). The video conferencing shall ordinarily take place during the official working hours:
 Provided that the Inquiring Authority may pass suitable directions concerning the timing and schedule of video conferencing as the circumstances may warrant.
 - (8) Once the proceedings have commenced, no other persons shall be permitted to participate in the virtual hearing, except with the prior permission of the Inquiring Authority.
 - (9) The establishment and disconnection of links between the proceeding point and the remote point would be done by or under the orders of the Inquiring Authority.
 - (10) The Inquiring Authority shall satisfy itself that the required persons at the remote point or the proceeding point are seen and heard clearly and can see and hear the Inquiring Authority.
 - (11) The Inquiring Authority shall tatisfy itself and also record its satisfaction as to clarity, sound and connectivity for both the proceeding point and the remote point users.
 - (12) An audio-visual recording of the entire inquiry proceedings conducted through video conferencing shall be preserved and an encrypted master copy with hash value shall be retained as a part of the record.
 - (13) Wherever any proceeding is carried out by taking recourse to video conferencing, the same shall specifically be mentioned in the order sheet by the Inquiring Authority.

- (14) The Inquiring Authority may also impose such other conditions as are necessary for a given set of facts for effective recording of the examination and especially with respect to sub-regulation (3) of regulation 6.
- (15) The examination referred to in sub-regulation (14) shall, as far as practicable, proceed without interruption:
 - Provided that in the interest of justice, the inquiring Authority shall be at liberty to determine whether an adjournment should be granted, and if so, on what terms.
- (16) The Inquiring Authority shall be guided by the provisions of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) while examining a person through video conferencing.
- Co-ordinator.- (1) There shall be a Co-ordinator at the Remote Point who shall be designated by the Inquiring Authority.
 - (2) The Railway Administration or the Public Sector Undertaking, as the case may be, exercising jurisdiction on the remote point shall extend the requisite co-operation to the Inquiring Authority by promptly sparing a Railway servant well conversant with handling of the electronic mode of video conferencing to act as the Co-ordinator in response to the request made by the Inquiring Authority.
 - (3) The Co-ordinator shall ensure that-
 - all remote users scheduled to appear in a particular proceeding at the remote point are ready at the remote point designated for video conferencing at least thirty minutes before the scheduled time;
 - (ii) no recording is done and no recording device is used except with the prior permission of the Inquiring Authority;
 - (iii) no unauthorised person enters the video conferencing room when the video conferencing is in progress and no person is present at the remote point except with the prior permission of the Inquiring Authority;
 - (iv) the remote user person being 'xamin':d is not prompted, induced, tutored, coerced, threatened or promised in any manner by any person and that the person being examined does not refer to any document, script or device without the prior permussion of the Inquiring Authority during the examination.
- Service of Summons.- (1) The provisions contained in the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 shall apply to service of summons for proceedings conducted by video conferencing.
 - (2) The summons issued to a witness who is to be examined through video conferencing, shall mention the date, time and venue of the concerned remote point and shall direct the witness to attend in person along with proof of identity or deposition to that effect.
- Preparatory arrangements and general requirements.-(1) The Inquiring Authority shall give sufficient notice in advance, setting out the schedule of video conferencing to the remote user persons.
 - (2) Before commencement of the proceedings of the scheduled video conferencing, the Inquiring Authority shall ensure that the Co-ordinator at the remote point receives certified copies of printouts or photocopy or a soft copy of the non-editable scanned copies of all or any part of the record of proceedings which may be required for recording statements or evidence, or for reference:

Provided that the se documents or copies shall be permitted to be used by the remote user persons only with the prior permission of the Inquiring Authority.

- (3) The Inquiring Authority shall ensure through the Co-ordinator that no unauthorised person is present in the video conferencing room at the remote point and no person except those permitted by the Inquiring Authority, is present in the video conferencing room at the time of examination of any person at the remote point.
- (4) The Inquiring Authority shall also conduct a trial video conferencing preferably thirty minutes before scheduled video conferencing to ensure that all the technical systems are in working condition at both the proceeding point and the emote point.
- (5) At the scheduled time, the Inquiring Authority shall connect the remote user to the proceeding point.
- (6) The video conferencing shall ordinarily take place during the official working hours:

Provided that the Inquiring Authority may pass suitable directions concerning the timing and schedule of video conferencing as the circumstances may warrant.

- (7) The Inquiring Authority shall ensure that video conferencing is conducted only through a designated video conferencing software.
 - Explanation: For the removal of doubts, it is hereby clarified that in the event of a technical malfunctioning during a proceeding, the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded in writing by it, permit the use of software other than the designated video conferencing a oftware for video conferencing in that particular proceeding.
- (8) The Inquiring Authority shall note the objections raised, if any, during the deposition of the person being examined and pass appropriate order thereon, in writing.
- (9) An audio-visual recording of the examination of the person examined shall be preserved and an encrypted master copy with hash value shall be retained as a part of the record.
- (10) The disconnection of link between the proceeding point and the remote point shall be done by or on the orders of the Inquiring Authority.
- (11) On completion of the video conferencing proceeding on each day, the Inquiring Authority shall make the daily order sheet of the time and duration of the proceeding, the software used (in case the software used is not the designated video conferencing software), the issue raised during the proceedings, if any, and the documents, if any, that were produced and transmitted online, in addition to the aspects dealt with in sub-regulations (3) to (7), (9) to (10) and (13) of regulation 5, as deemed fit:

Provided that in case a digital recording is tendered, the 'inquiring Authority shall record its duration in the order sheet along with all other requisite details

- (12) The Inquiring Authority shall also record its satisfaction as to clarity, sound and connectivity for both users and remote users.
- 9. Examination of persons.—(1) No witness shall be examined unless his identity has been established as provided for in sub-regulation (4) of regulation 5 and the same shall be reflected in the daily order sheet and the identity of the witness deposing at the remote point shall be confirmed by the Inquiring Authority with the assistance of the Co-ordinator who shall obtain signatures of the witnesses on the hard copies of the Identity proof as provided in sub-regulation (4) of regulation 5 and after counter signing the same shall dispatch them to the Inquiring Authority via authorised courier or registered speed post
 - (2) A scanned copy of such documents shall be digitally signed by the Co-ordinator and immediately transmitted by him through official email to the Inquiring Authority.
 - (3) The person being examined shall ordinarily be examined during the official working hours or at such time as the Inquiring Authority may deem fit and necessary.
 - (4) The Co-ordinator at the remote point shall ensure that no person, except with the specific permission of the Inquiring Authority, is present at the remote point save and except the person being examined.
 - (5) The Inquiring Authority shall record whilst under examination, such remarks, if any, as he thinks material respecting the demeanor of the person.
 - (6) The Inquiring Authority may also issue such other directions as are necessary for a given set of facts for effective recording of the examination.
 - (7) The Inquiring Authority shall obtain the signature of the person being examined on the transcript once the examination is concluded and the signed transcript shall form part of the record of the inquiry proceedings.
 - (8) The signature on the transcript of the person being examined shall be obtained in either of the following ways, namely:-
 - (a) if digital signatures are available at both the concerned proceeding point and the remote point, the soft copy of the transcript digitally signed by the Inquiring Authority shall be sent by the official e-mail to the remote point where a printout of the same shall be taken and signed by the person being examined;
 - (b) a scanned copy of such signed transcript shall be digitally signed by the Co-ordinator at the remote point and the same would be transmitted by efficial email to the proceeding point and the hard copy of the signed transcript shall be dispatched after the examination is completed, preferably within a period of three clear

days by the Co-ordinator at the remote point to the inquiring Authority by recognised courier or registered speed post;

- (c) if digital signatures are not available, the printout of the transcript the libe signed by the Inquiring Authority and the representative of the parties, if any, at the proceeding point and shall be sent in non-editable scanned format to the official email account of the remote point, where a printout of the same shall be taken and signed by the person-examined and countersigned by the Co-ordinates at the remote point;
- (d) a non-editable scanned format of the transcript so signed shall be sent by the Co-ordinator of the remote point to the official erusal account of the Inquiring Authority, upon which a primout of the same shall be taken and shall be made a part of the record of the proceedings and the hard copy shall also be dispatched preferably within a period of three clear days by the Co-ordinator at the remote point to the Inquiring Authority by recognised courier or registered speed post.
- (9) The examination shall, as far as practicable, proceed without interruption or the grant of unnecessary adjournments:

Provided that the Inquiring Authority shall be at liberty to determ ne whether an adjournment should be granted, and if so, on what terms.

- 10. Exhibiting or Showing Documents to Witness or the charged Railway servant at a Remote Point. If in the course of examination of a person at a remote point by video conferencing, it is necessary to show a document to the person, the Inquiring Authority may permit the document to be shown in the following manner, namely:-
 - (a) if the document is, at the proceeding point, by transmitting a copy or image of the document to the remote
 point electronically, including through a document visualiser; or
 - (b) if the document is at the remote point, by putting it to the person and transmitting a copy or image of the same to the proof eding point electronically including through a document visualiser.
 - Provided that the hard copy of the document countersigned by the witness and the Co-ordinator at the remote point shall be dispatched thereafter to the proceeding point via authorised courier or registered speed post.
- 11. Recording of the Pally Order Sheets.- On close of the proceedings on each day, the Inquiring Authority shall draw up the order sheet in terms of sub-regulation (11) of regulation 8 and while the Inquiring Authority and the necessary persons present at the proceeding point shall put their signatures physically, the signatures of the necessary persons at the remote point shall be obtained in either of the following ways, namely:-
 - (a) if digital signatures are available at both the concerned proceeding point and the remote point, the soft copy of the daily order sheet digitally signed by the Inquiring Authority and other necessary persons at the proceeding point shall be sent by the official e-mail to the remote point where a printout of the same shall be taken and signed by the necessary persons at the remote point;
 - (b) a scanned copy of such signed printout shall be digitally signed by the Co-ordinator at the remote point and the same should be transmitted by official email to the proceeding point;
 - (c) the hard copy of the signed transcript will be dispatched preferably within three clear days by the Coordinate r at the remote point to the Inquiring Authority by recognised courier or registered speed post;
 - (d) if digital signatures are not available, the printout of the daily order sheet shall be signed by the Inquiring Authority and the necessary persons at the proceeding point and shall be sent in non-editable scanned format to the official e-mail account of the remote point, where a printout of the same shall be taken and signed by the necessary persons at the remote point and countersigned by the Co-ordinator;
 - (c) a non-editable scanned format of the printout so signed shall be sent by the Co-ordinator of the remote point to the official e-mail account of the Inquiring Authority, upon which a print out of the same would be taken and shall be made a part of the record of the proceedings;
 - (f) the hard copy would also be dispatched preferably within a period of three clear days by the Co-ordinator at the remote point to the Inquiring Authority by excognised courier or registered speed post.
- 12. Ensurance by Inquiring Authority while communical ling report to the Disciplinary Authority.— The Inquiring Authority shall ensure that the physically signed hard copies as well as the printouts of the digitally signed transcripts and daily order sheets recorded during the proceedings conducted through video conferencing together with the electronic records provided for in sub-regulation (12) of regulation 5 are duly matched and

made part of the records of the proceedings while communicating the Inquiry Report to the Disciplinary Authority.

13. Regulations in addition to and not in derogation of the Railway Se vants (Discipline and Appeal) Rules, 1968. The provisions of these regulations shall be in addition to and not in derogation of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968.

[F. No. E(D&A) 2020 RG6-6]

SUNIL KUN 1AR, Executive Director/Establishment